MOU with Vietnam on Mineral Exploration

5708. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India and Vietnam have signed Memorandum of understanding to cooperate in areas of mineral exploration, processing and development; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Yes, Sir. A Memorandum of Understanding (MOU) has been signed between the Ministry of Mines, Government of India and the Ministry of Heavy Industry, Government of the Socialist Republic of Vietnam on 18th April, 1995 for cooperation in the field of Geology and Mineral resources.

(b) The specific areas listed for cooperation in the MOU are:

(i) Mineral Exploration: The Geological Survey of India would offer assistance in different phases of mineral exploration (geophysical and geochemical exploration and drilling) and also provide training for geologists of Vietnam in various geoscience disciplines;

(ii) Mineral Processing and Development: Indian Bureau of Mines would offer assistance in orebody modelling, and assessment of ore reserve using computorised techniques;

(iii) Setting up of an Aluminium Smelter in Vietnam;

(iv) setting up of joint ventures to mine and process mineral resources in Vietnam;

(v) Setting up of a joint venture to explore and develop gold deposit at Pac Lang in Vietnam;

The MOU will be valid for a period of three years and is extendable.

मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता

5709. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां यह सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) उक्त राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मूल्यवान खनिजों का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न स्थानों में गौण अयस्क/खनिजों का अनुमानित भण्डार निम्न प्रकार है:—

हेमाटाइटिक लौह अयस्क: बस्तर, बेतुल, दुर्ग, ग्वालियर, जबलपुर और राजनन्दगांव जिलों में 2539.34 मिलियन टन।

मेगनीज अयस्क: बालाघाट जिले में 35.815 मिलियिन टन।

बाक्साइट: बालाघाट, बस्तर, बिलासपुर, गूना, राजनन्दगांव, जबलपुर, मदला, रायगढ़, रीवा, सतना, शहडोल, शिवपुरी, सीदी, सरगुजा, और बिदिशा जिलों में 277.759 मिलिटन टन।

तांबा: बालाघाट और जबलपुर जिलों में 95.59 मिलियन टन तांबा अयस्क।

स्वर्ण अयस्क: रायपुर जिले में 2 टन अयस्क।

हीरा: पन्ना में 1001164 कैरेट।

मोलिब डेनम: बालाघाट जिले में 8 मिलियन टन अयस्क।

टिन: बस्तर में 28.896 मिलियन टन अयस्क।

फास्फोराइट/सक्र फास्फेट: झाबुआ, सागर और छतरपुर जिलों में 21.476 एम० टी०।

एस्बेसटोस: टीकमगढ़ जिले में 6000 टन।

बैराइट्स: देवास, धार, शिवपुरी, सीधी, और टीकमगढ़ जिलों में 0.269 मिलियन टन।

कैल्साइट: झाबुआ और खारगांव जिलों में 0.416 मिलियन टन।

चाइनाक्ले: बेतुल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दतिया, दुर्ग, ग्वालियर, होसंगाबाद, जबलपुर, खारगांव, नरसिंगपुर, रायसेन, राजनन्दगांव, सतना, शहडोल और सीधी जिलों में 17.806 मिलियन टन।

डोलोमाइट: बालाघाट, सिओनी, बस्तर, बेतुल, बिलासपुर, छिन्दवाड़ा दुर्ग, होसंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, मेंदला, नरसिंहपुर, रायगढ़ और सिओनी जिलों में 2242.923 मिलियन टन।

फायरक्ले: बेतुक, बिलासपुर, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, राजनन्दगांव, शहडोल और सीधी जिलों में 120.693 मिलियन टन।

फ्लोराइट: राजनन्दगांव में 0.318 मिलियन टन।

ग्रेफाइट: बेतुल और सीधी जिलों में 0.013 मिलियन टन।

लाइमस्टोन: बालाघाट, बस्तर, बिलासपुर, दमोहदर, दुर्ग, होसंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ खारगांव, मन्दसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनन्दगांव, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, शहडोल और सीधी जिलों में 12927.94 मिलियन टन।

क्वार्टस और सिलिका सैंड: बालाघाट, देवास, धार, दुर्ग, जबलपुर, खारगांव, मोरेना, रीवा, और शहडोल जिलों में 203.49 मिलियन टन।

सिलेमेनाइट: सीधी जिले में 101600 टन।

टाल्क/स्टीटाइट सोपस्टोन: धार, दुर्ग, जबलपुर, झाबुआ और नरसिंहपुर जिलों में 6.218 मिलियन टन।

कोयला: जोहिल्ला, उमरिया, पंच-कनहन-तांबा, पाठाखेरा, गुरगुण्डा, मोहपानी, सोहगपुर, सिंगरौली, सोनहार, झीलिमिली चिरीमिरी, बिसरामपुर लखनपुर, हसदो-अरन्द, सेनदुर्ग, कोरबा, मण्डरायगढ़ और तातापानी-रामकोला कोयला क्षेत्रों में 41828.90 मिलियन टन।

(ग) भंडारों का राज्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और निजी संस्थाओं द्वारा विदोहन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के आकर्षक निवेश द्वारा खनिज संसाधनों के विदोहन को सुविधाजनक बनाने के विचार से, सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 घोषित की है और उसके अध्याधीन बनाए गए नियमों और खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 में अनुवर्ती परिवर्तन किया गया है।

Reserves of Asbestos in Rajasthan and Gujarat

5710. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) what are the total reserves of asbestos in Rajasthan and Gujarat;

(b) the estimated national and international price thereof;

(c) whether this minerals is included in unreaserved list;

(d) if so, the number of total asbestos mines which have been given on lease;

(e) the total value of asbestos imported each year;

(f) whether the production of asbestos increased during the last three years; and

(g) if so, the year-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (g) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Letters Received From M.Ps

5711. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) the number of letters written by the Members of Parliament to his Ministry during the period from 1st April, 1994 to 31st March, 1995;

(b) the number of letters acknowledged out of them;